फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 30/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/34)
श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र भावसार व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>06.04.2023</td><td>
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री एम.एस.मेहता - वकील अपीलार्थी
2. श्री संजय बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील प्रत्यर्थी
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार

अनवान
1. श्री ईश्वरसिंह राजपूत पिता स्व.श्री हिन्दुसिंह राजपूत, अरनोद, तहसील प्रतापगढ़।
अपीलार्थी
1. श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री राजमल भावसार, निवासी अरनोद, तहसील अरनोद, प्रतापगढ़।
2. श्री महेन्द्रसिंह राजपूत पिता श्री मेहताबसिंह राजपूत, निवासी अरनोद, तहसील अरनोद, प्रतापगढ़।
3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय-अरनोद, पिता प्रतापगढ़ (राज.)
प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद, बप्रकरण संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 24.03.2022 (अनवान श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र व अन्य)

<u>निर्णय</u>
दिनांक 06.04.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद, बप्रकरण संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 24.03.2022 (अनवान श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

• वर्तमान अपील के अपीलार्थी श्री ईश्वरसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद समक्ष नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 27.07.1988 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनोद के खसरा नम्बर 5 रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि श्री ईश्वरसिंह के पिता श्री हिन्दुसिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह के हिस्से की पेतृक सम्पत्ति थी, परन्तु बिना अधिकार होते हुए भी श्री महेन्द्रसिंह द्वारा उक्त भूमि को श्री कैलाशचन्द्र भावसार को दिनांक 26.07.1988 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी, जिसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 27.07.1988 स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी अनुसार उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 14.01.2016 को हुई और दिनांक 15.01.2016 को नकल प्राप्त कर मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि उसके एवं हिन्दुसिंह के वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अनुरोध किया।

• अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद द्वारा निर्णय दिनांक 24.03.2022 से उक्त अपील मयाद बाधित होने से मयाद के बिन्दु पर खारिज करने का आदेश प्रसारित किया।

उक्त निर्णय दिनांक 24.03.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 31.03.2023 को उक्तानुसार अधिवक्तागण उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अधवक्ता श्री संजय बोहरा द्वारा लिखित बहस पेश जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलाई गई। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्त अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 30/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/34) **श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र भावसार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाहिर की। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि उक्त प्रकरण में मूल पुरूष श्री जोरावरसिंह थे, जिनके पुत्र श्री मेहताबसिंह, दरियावसिंह एवं हिन्दुसिंह हुए। श्री महेन्द्रसिंह श्री मेहताबसिंह के पुत्र हुए और अपीलार्थी श्री ईश्वरसिंह श्री हिन्दुसिंह के पुत्र हुए। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तत्समय वसीयत के आधार पर एक नामान्तरकरण श्री महेन्द्रसिंह के नाम पर 29.09.1977 को स्वीकृत कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि श्री हिन्दुसिंह के नाम दर्ज की जानी थी। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध श्री हिन्दुसिंह द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे निर्णय दिनांक 30.03.1979 से स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण दिनांक 29.09.1977 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 30.03.1979 के विरूद्ध श्री महेन्द्रसिंह व मेहताब सिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे निर्णय दिनांक 28.02.1981 से निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई गई। उक्त निर्णय की राजस्व विभाग द्वारा पालना न कर राजस्व अभिलेखों के इन्द्राज नहीं किया गया, जिसके कारण श्री महेन्द्रसिंह ने वादग्रस्त भूमि का बेचान पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.07.1988 से श्री कैलाशचन्द्र भावसार को कर दिया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 27.07.1988 स्वीकृत किया गया। उक्त बेचान आरम्भ से ही शुन्य है, क्योंकि राजस्व विभाग की गलती के चलते उक्त भूमि श्री महेन्द्र कुमार के नाम रह गई और उनके द्वारा कथित बेचान कर दिया गया। राजस्व विभाग की गलती का दोष अपीलार्थी का दिया जाना अवैद्यानिक है। उक्त बेचान एवं नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योंकि वह तत्समय जेल में था। वर्ष 2014 में उक्त बेचान की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानें में दर्ज कराई गई। जेल से निकलने के उपरान्त अपीलार्थी अपने परिवार को संभालने में लगा होने से उसके उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी और जानकारी होते ही, अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 के पेश की गई। दिनांक 19.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की सहमति से अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम दोनों को एक साथ सुनने का आदेश पारित किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को मेरिट पर न सुनकर मयाद के बिन्दु पर ही निर्णित करते हुए खारिज कर दिया गया, जो कानून के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा मयाद कन्डोन किये जाने हेतु संतोषप्रद एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत किये थे, नर्जीरे प्रस्तुत की थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन पर कोई गौर नहीं किया गया। धारा-5 मयाद अधिनियम में देरी का स्पष्टीकरण मात्र आवश्यक है, न कि देरी होने का स्ट्रीक प्रुफ की आवश्यकता नहीं होने के बावजुद देरी कंडोन नहीं कर निर्णय पारित करने में भारी भुल की है। दिनांक 30.03.1979 के उक्त निर्णय की पालना में इन्तकाल संख्या 701 का दाखिला खत्म कर अपीलार्थी के पिता के नाम अंकन करने का दायित्व राजस्व विभाग का था, जिन्होनें अपने कर्त्तव्य की पालना विधि अनुसार नहीं की है, तथा अपीलार्थी का कोई दोष नहीं होते हुए भी अपीलार्थी को उसके हक-अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है, के बिन्दु पर विचार न कर अवैद्यानिक निर्णय पारित किया गया, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1- 1992 RRD 239 2- 1998 RRD 319 3- AIR 2004 Rajasthan 18 4- 2009(2) RRT 783 **प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय बोहरा द्वारा उक्त बहस के खण्डन में मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि** अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष तथ्यों को छिपाया गया है, मूल पुरूष श्री जोरावरसिंह के तीन पुत्र न होकर चार पुत्र थे यथा श्री गुलाबसिंह, श्री मेहताबसिंह, श्री दरियावसिंह व श्री हिन्दुसिंह। इसके अतिरिक्त स्वयं की श्री हिन्दुसिंह को एकमात्र पुत्र बताया जबकि हिन्दुसिंह के चार पुत्र थे। विवादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 30/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/34) **श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र भावसार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि के संबंध में अन्य किसी पुत्र ने कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया है। श्री दरियावसिंह द्वारा अपने तीन भूमियों के संबंध में वसीयत लिख का दो भूमियां यथा आराजी नम्बर 113 व 4 को श्री हिन्दुसिंह व एक भूमि आराजी संख्या 5 को श्री महेन्द्रसिंह के नाम वसीयत की। उक्त दोनों आराजी संख्या 113 व 4 श्री हिन्दुसिंह द्वारा बेच दी गई। श्री महेन्द्रसिंह द्वारा उक्त आराजी संख्या 5 का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.07.1988 से श्री कैलाशचन्द्र भावसार, प्रत्यर्थी-1 को कर कब्जा प्रदान कर दिया गया, जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 185 स्वीकृत किया गया। उक्त बेचान की जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी। अपीलार्थी का उज्र की वह दिनांक 15.09.1989 से पूर्व 22 माह तक जेल में रहा जिससे उसे नामान्तरकरण एवं बेचान की जानकारी नहीं थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बेचान के जरिये श्री कैलाशचन्द्र भावसार को कब्जा प्रदान किया गया, ऐसे में उसे उक्त बेचान की जानकारी न हो, माना नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा 29.11.2014 को एक इस्तगासा रेस्पोडेंट के विरूद्ध माननीय ए.सी.जे.एम. अरनोद मुख्यालय प्रतापगढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जो यह साबित करती है कि उसे उक्त बेचान व नामान्तरकरण की जानकारी थी। ऐसे में अपीलार्थी का नामान्तरकरण संख्या 185 की जानकारी दिनांक 14.01.2016 को होने का कथन झूठा है। अपीलार्थी को उक्त बेचान एवं नामान्तरकरण की जानकारी आरम्भ से थी क्योंकि बेचान के उपरान्त 33 वर्षों से श्री कैलाशचन्द्र का क्रीत भूमि पर कब्जा है। उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जो प्रावधानोनुसार स्वीकृत किया गया है। मयाद कन्डोन के लिए प्रत्येक दिन की देरी को एक्सप्लेन किया जाना होता है जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों पर विचार विश्लेषण उपरान्त दिनांक 18.02.2021 को उनके समक्ष अपील को मयाद के बिन्दु पर प्रावधानोनुसार प्रथमतया विनिश्चय करने का आदेश दिया और आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.03.2022 के अपीलांट की अपील को मयाद बाधित मानते हुए खारिज कर दी गई, जो पूर्णयतया विधि सम्मत है। अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत एवं ग्राम पंचायत अरनोद द्वारा जारी पारिवारिक सजरा प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का अनुरोध किया। 1- 2021(1) RRT 433 2- 2021(2) WLC (Raj.) UC 139 3- 2018(1) RRT 627 4- 2010 RBJ 289 5- 1995 RRD 64 6- 2007(2) RRT 788 7- 2017(1) RRT 11 8- AIR 1998 SC 2276 9- AIR 2011 SC 1237 10- 2013(2) RRT 887 **प्रत्यर्थी तहसीलदार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।** दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 मय दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। न्यायहित में प्रस्तुत दस्तावेजों का अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 30/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/34) **श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र भावसार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 27.07.1988 के विरूद्ध 33 वर्षो बाद अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 24.03.2022 में कारण अंकित करते हुए अपील को मयाद बाधित मानते हुए मयाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का आदेश प्रसारित किया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत की गई। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील पर गुणावगुण पर सुनवाई नहीं कर उसे मयाद के आधार पर खारिज करने में कानूनी भूल की है। इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार जहां अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की जावें एवं अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहा सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं एवं उसके पश्चात् आवश्यक होने पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये। विधिक स्थिति एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के पश्चात ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं तत्पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा 33 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी ऐसे में प्रावधान अनुसार मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना अपेक्षित था। साथ ही रेस्पोडेंट द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्ति एवं लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी। यहा हम मयाद के बिदुं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है। **2009 डी.एन.जे.(1) एस.सी.141 में विलम्ब क्षमा करने के बिन्दु को पहले निर्णीत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्वान्त अभिनिर्धारित किया है-** Without condoning the delay and entertaining the writ appeal High Court passed the various interim order-It was impermissible as the appeal was non-est in the eye of law-Order passed in writ appeal was erroneous and contrary to ground on which petition was dismissed – Held, Impugned judgement is set side and case remitted to High Court to decide afresh. **न्यायिक दृष्टान्त 2011(1) आर.आर.टी. पेज 421 में डी.एन.जे.(1) एस.सी.141 को उदधृत करते हुए निम्न सिद्वान्त विनिश्चय किया है-** Question of limitation should have been decided first before passing order on merits. **आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)** परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यया यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है। **आर.आर.टी.2017(1) पेज 131 उनवानी रीको बनाम प्रेम किशन व अन्य (राज. उच्च न्यायालय)** राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952-नियम 134-परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-विलम्ब का शमन-स्पेशल अपील पेश करने में 149 दिनों का विलम्ब-तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष कि रेस्पाडेंटस् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही भूमि के कब्जा काश्त में है-रीको व यूआईटी के पक्ष में भूमि हस्तांतरण का आदेश कलेक्टर द्वारा सही निरस्त किया गया-खातेदारी अधिकार प्रदान करना उचित था-रीको के पक्ष में अधिकार सृजित नहीं हुए-निर्णित, अपील व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 30/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/34) **श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र भावसार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आर.आर.टी.2015(2) पेज 1089 उनवानी किशोर बनाम सुरेश व अन्य (राजस्व मण्डल अजमेर) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 230 - राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील बाजदायरी हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया- मियाद के बाहर प्रार्थना पत्र पेश किये - मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित नहीं किया - निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा पहले मियाद का प्रश्न निर्णीत करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया। उपरोक्त न्यायिक उद्धरणों के अनुसार धारा-3 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत समयावधि का प्रश्न अपील का निर्णय किये जाने से पूर्व निर्णित किया जाना चाहिये। यदि अपील निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम बिन्दु यह निर्णय किये जाने का होता है कि क्या अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं। यदि धारा-5 मयाद अधिनियम के अधीन कोई आवेदन-पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है तो उसे स्वीकार किया जावे या नहीं एवं जो देरी अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई है, उस देरी को क्षम्य किया जावें अथवा नहीं, उक्त बिन्दु पर निर्णय दिये बगैर अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु नहीं जा सकती। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि श्री महेन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 27.07.1988 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के वादग्रस्त भूमि श्री कैलाशचन्द्र भावसार को विक्रय कर दी गई। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख में विक्रय की भूमि के कब्जा प्रदान किये जाने का अंकन किया गया है, जो यह प्रकट करता है कि विक्रय उपरान्त उक्त भूमि पर क्रेता श्री कैलाशचन्द्र भावसार का कब्जा है। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है, वह दिनांक 15.09.1989 से पूर्व 22 माह तक जेल में रहा जिससे उसे नामान्तरकरण एवं बेचान की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त भूमि के बेचान उपरान्त श्री कैलाशचन्द्र भावसार का कब्जा होना पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रमाणित है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं 15.09.1989 से जेल से छुट जाने का कथन किया गया है, ऐसे में उसको उक्त भूमि पर श्री कैलाशचन्द्र के कब्जे का ज्ञान न हो, यह संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा 29.11.2014 को एक इस्तगासा रेस्पोडेंट के विरूद्ध माननीय ए.सी.जे.एम. अरनोद मुख्यालय प्रतापगढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जो यह साबित करती है कि उसे उक्त बेचान व नामान्तरकरण की जानकारी थी। ऐसे में अपीलार्थी का नामान्तरकरण संख्या 185 की जानकारी दिनांक 14.01.2016 को होने का कथन स्वीकार्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन एवं परिक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। आलौच्य नामान्तरकरण मय बेचान की अपीलार्थी को ससमय जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष असत्य, असंतोषप्रद कारण अंकित करते हुए 33 वर्ष से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने निःसंदेह कोई तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि नहीं की है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विवेचन के आलोक में इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है जबकि मयाद के बिन्दु पर प्रस्तुत अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सुसंगत होकर चस्पा होते है। उपरोक्त के अलावा न्यायहित में यह भी लेख किया जाना उचित है कि विवाद का मुख्य बिन्दु पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1988 है जो उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत हो चुका था चूंकि यह एक पंजीकृत विक्रय पत्र है और कोई भी पंजीकृत विक्रय पत्र (voidable) शून्य करणीय दस्तावेज है, ना कि प्रारम्भ से ही शून्य (Ab initio void)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 30/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/34) **श्री ईश्वरसिंह राजपूत बनाम श्री कैलाशचन्द्र भावसार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेज किसी शून्य करणीय दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित करवाया जाना चाहिये। यदि सक्षम न्यायालय उस शून्य करणीय दस्तावेज को ''शून्य'' घोषित कर देता है तब वह दस्तावेज निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकरण में ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय ने ''शून्य'' घोषित कर दिया है। इसलिये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण विधिसम्मत व न्यायसंगत है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामान्तकरण की प्रविष्टि कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित सृजित नहीं करती है, केवल मात्र भौतिक प्रविष्टियां है और अपने अधिकारों, स्वामित्व व अन्य हकों के लिए समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु सक्षम होना बताया गया है। ऐसे में अपीलार्थी अपने अधिकारों की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में वाद करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2022 की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	